

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 277 / 14

संस्थापन दिनांक:-13 / 05 / 14

फाईलिंग नं. 233504004112014

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. श्रीमती अन्नु पति राजेश घई, उम्र 40 वर्ष
2. राजेश पिता प्रहलाद घई, उम्र 45 वर्ष,
दोनों निवासी वार्ड क. 15, बोड़खी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 06.07.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323 / 34 (दो काउंट में), 341, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 20.04.2014 को समय रात 09:00 बजे राजेश टारपे के मकान के सामने बोड़खी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान में फरियादी नेहा सहगल को मां बहन की अश्लील गालियां दी जिससे उसे क्षोभ कारित किया एवं फरियादी नेहा व आहत ऋषि कुमार को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी नेहा सहगल एवं आहत ऋषि कुमार को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी नेहा व आहत ऋषि कुमार का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा फरियादी नेहा व आहत ऋषि कुमार को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी एवं उसका पति ऋषि दिनांक 20.04.2014 को दुश्यंत ढोमने के घर शादी में पार्टी में गये थे। पार्टी में अभियुक्तगण भी थे। तभी पुराने विवाद पर से अभियुक्तगण राजेश एवं अन्नु ने फरियादी के पास आकर उसे गंदी गंदी गालियां दी। फरियादी द्वारा अभियुक्तगण को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त अन्नु ने उसके बाल पकड़कर हाथ मुक्के से पीठ एवं गाल पर मारा। फरियादी के पति ऋषि उसे बचाने आये तो अभियुक्त राजेश ने उसके पति को मां बहन की

गालियां देकर हाथ मुक्के से मारपीट किया जिससे उसके पति के सिर में चोट आयी। घटना का बीच बचाव मोहम्मद अलीम एवं मनोज वर्मा ने किया। जब वे अपने घर जाने लगे तो अभियुक्तगण ने उनका रास्ता रोककर रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 298/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी एवं आहत के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी नेहा एवं आहत ऋषि को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने घटना के समय फरियादी नेहा एवं आहत ऋषि का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?

8. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी नेहा एवं आहत ऋषि को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?

9. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 08 का निराकरण

5 डॉ. नेहा सहगल (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे अभियुक्तगण ने घटना के समय गंदी गंदी गालियां दी थी। साक्षी ऋषि सहगल (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त अन्नु ने उसकी पत्नी नेहा को गंदी गंदी गालियां दी थी तथा अभियुक्त राजेश ने उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। साक्षी मनोज (अ.सा.-6) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण गाली गलौच कर रहे थे।

6 फरियादी डॉ. नेहा सहगल (अ.सा.-1) एवं ऋषि सहगल (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 फरियादी डॉ. नेहा सहगल (अ.सा.-1) एवं ऋषि सहगल (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उन्हें रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी मनोज (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण जाते जाते कह रहे थे कि तुम लोगों को मैं देख लूंगा। साक्षी डॉ. नेहा सहगल (अ.सा.-1) एवं ऋषि सहगल (अ.सा.-2) ने अभियुक्तगण द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय

रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा-506 भाग-2 भा०दं०सं० का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05, 06 का निराकरण

8 डॉ. नेहा सहगल (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त डॉ. अन्नु घई ने उसके बाल पकड़कर हाथ मुक्कों से मारपीट की थी तथा पीठ और गाल पर भी मारा था और जब उसके पति ऋषि सहगल बचाने के लिए आये तो अभियुक्त राजेश घई ने उसके पति के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की थी जिससे उसके पति के सिर पर चोट आयी थी। ऋषि सहगल (अ.सा.-2) ने फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त अन्नु घई ने उसकी पत्नी नेहा के बाल पकड़कर हाथ मुक्कों से पीठ एवं गाल पर मारा था तथा अभियुक्त राजेश घई ने उसे हाथ मुक्कों से मारा था जिससे उसे सिर पर चोट आयी थी। मनोज (अ.सा.-6) ने भी न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने नेहा एवं डॉ. ऋषि को मारा था, डॉ. ऋषि के सिर में चोट भी आयी थी।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-5) ने दिनांक 21.04.2014 को सीएचसी आमला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत नेहा एवं ऋषि का परीक्षण किये जाने पर आहत नेहा के परीक्षण में कोई चोट के निशान नहीं पाये थे तथा आहत ऋषि के सिर के पीछे तरफ 2 गुणा 1 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द पाया था। साक्षी ने आहत ऋषि को आयी चोट कड़े एवं बोथरे वस्तु से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श प्री-6 एवं प्रदर्श पी-7 को प्रमाणित किया है।

10 प्रशांत शर्मा (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 22.04.2014 को थाना आमला में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 298/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) तथा अभियुक्त अन्नु एवं राजेश को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-3 एवं प्रदर्श पी-4 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

11 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है तथा स्वतंत्र साक्षी अलीम एवं मनोज ने घटना का पूर्णतः समर्थन नहीं किया है। बचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि उभयपक्ष के मध्य संपत्ति संबंधी विवाद है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न

होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र साक्षी अलीम (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय शादी में खाना खा रहा था, वहीं पर डॉ. ऋषि और नेहा भी थे। अभियुक्त डॉ. राजेश ने डॉ. ऋषि की कॉलर पकड़ी थी। उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अन्य स्वतंत्र साक्षी मनोज (अ.सा.-6) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह शादी में गया हुआ था उसने देखा था कि अभियुक्त राजेश डॉ. ऋषि को मार रहे थे, उसने बीच बचाव किया था, अभियुक्त अन्नु डॉ. नेहा को मार रही थीं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी मोहम्मद अलीम (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि उसने अपने पुलिस कथनों में केवल यह बताया था कि अभियुक्त राजेश ने ऋषि सहगल की कॉलर पकड़ी थी। मनोज (अ.सा.-6) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके सामने कोई विवाद नहीं हुआ था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में साक्षी ने बचाव अधिवक्ता द्वारा उसके दिये गये पुलिस कथनों को पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने स्वयं के द्वारा ऐसे कथन न करना बताया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि डॉ. ऋषि सहगल को किसी ने मारा नहीं था, वो गिर गये थे इस दौरान उनके सिर में चोट लग गयी थी। लॉन में जहां पत्थर पड़े थे वहां पत्थर में गिरने से डॉ. ऋषि सहगल को चोट आयी थी। डॉ. सहगल सिर के बल गिर गये थे तो उसने सिर के दाहिनी ओर आंख के उपर चोट आयी थी। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि डॉ. सहगल के सिर के पीछे की ओर चोट थी। स्वतः में यह बताया है कि उसने सामने की ओर चोट देखी थी और सामने ही चोट लगी थी।

13 अलीम (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि उसने अभियुक्त राजेश को डॉ. ऋषि की कॉलर पकड़े देखी थी। जबकि यह अभियोजन कथा नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने न तो अभियोजन कथा के अनुरूप कथन किये हैं और न ही अभियोजन कथा का समर्थन किया है। अतः साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14 साक्षी मनोज (अ.सा.-6) अपने कथनों पर ही स्थिर नहीं है। साथ ही साक्षी ने स्वयं के द्वारा दिये गये पुलिस कथनों से इनकार किया है। साक्षी मनोज ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि डॉ. ऋषि सहगल को किसी ने

मारा नहीं था, वो गिर गये थे। इस प्रकार इस साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है, न ही साक्षी ने अभियोजन कथा के अनुरूप कथन किये हैं। उसके स्वयं के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। तब ऐसी स्थिति में साक्षी पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस साक्षी से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

15 अभिलेख पर फरियादी/आहत डॉ. नेहा एवं आहत डॉ. ऋषि सहगल की साक्ष्य है। अतः उपर्युक्त साक्षियों की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि क्या उन पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं ?

16 डॉ. नेहा सहगल (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह और उसके पति दुश्यंत ढोमने के यहां शादी में गये हुए थे, तभी अभियुक्त अन्नु घई ने उसके बाल पकड़कर हाथ मुक्कों से मारपीट की थी और जब उसके पति ऋषि बचाने के लिए आये तो अभियुक्त राजेश घई ने उसके पति को हाथ मुक्कों से मारा था जिससे उसके पति को सिर पर चोट आयी थी। ऋषि सहगल (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि शादी की पार्टी में अभियुक्त अन्नु ने उसकी पत्नी के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की थी और जब उसने बचाव किया तो अभियुक्त राजेश ने उसे हाथ मुक्के से मारा जिससे उसे सिर में चोट आयी थी।

17 डॉ. नेहा सहगल (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने रिपोर्ट लेख कराये जाते समय पुराने विवाद पर से लड़ाई झगड़ा होना बताया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि उनके विरुद्ध भी न्यायालय में मामला चल रहा है। पैरा क. 05 में साक्षी ने यह बताया है कि जिस समय घटना हुई थी उस समय उसके पति उसके पास नहीं थी। स्वतः में कहा है कि थोड़ी दूरी पर थे और आवाज सुनकर आये थे। पैरा क. 06 में साक्षी ने यह बताया है कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि जब से उसके पति ने बोड़ खी में क्लिनिक और मेडिकल स्टोर खोला है तब से उनके और मामा ससुर के बीच विवाद चल रहा है। साक्षी ने यह भी सही होना बताया है कि प्रापर्टी का हिस्सा सभी को चाहिए। अभियुक्तगण हिस्सा देने से मना कर रहे हैं और हम लोग अपना-अपना हिस्सा चाहते हैं। साक्षी ने यह भी सही होना बताया है कि जिस मकान में अभियुक्त डॉ. राजेश घई रहते हैं, उसमें भी वह, उसके पति और अन्य सभी लोग हिस्सा चाहते हैं, परंतु अभियुक्तगण ने हिस्सा देने से मना कर दिया इसलिए यह रिपोर्ट करने की नौबत आयी। साक्षी ने इस सुझाव को भी

सही होना बताया है कि यदि अभियुक्तगण मेन मार्केट स्थित मकान का हिस्सा नहीं मांगते तो उनके विरुद्ध हम रिपोर्ट नहीं करते।

18 ऋषि सहगल (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि उसका और अभियुक्तगण का संपत्ति को लेकर विवाद है। साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसने डॉ. प्रहलाद घई के बच्चों से बिना पूछे उनकी संपत्ति खरीद ली थी और तभी से यह विवाद शुरू हुआ। पैरा क. 08 में साक्षी ने यह बताया है कि बोड़खी में दवाखाना खोलने के बाद विवाद की स्थिति बनी है। पैरा क. 09 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने कभी पुलिस को इस बात की शिकायत नहीं की कि अभियुक्तगण से संपत्ति संबंधी विवाद है और यह भी सही होना बताया है कि घटना दिनांक को भी संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था। पैरा क. 11 में साक्षी ने यह बताया है कि न्यायालय में कथन देने के पहले उसने प्रकरण से संबंधित फाईल को और आवेदनों को पढ़ा था। पैरा क. 13 में साक्षी ने यह बताया है कि घटना केवल पांच सेकण्ड में खत्म हो गयी थी। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि पांच सेकण्ड में संपूर्ण घटना होना संभव नहीं है। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि घटना के समय उसके नाना डॉ. प्रहलाद भी थी वह उन्हें खाना खिला रहा था, हर्ष मालवीय, संदीप भी खड़े थे। साक्षी ने यह भी सही होना बताया है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि पुराने विवाद पर से झगड़ा हुआ था। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि **प्रोफेशनल संबंधी विवाद और पारिवारिक मसले का विवाद नहीं होता तो यह रिपोर्ट करने की नौबत नहीं आती।** साक्षी ने यह भी सही होना बताया है कि इसी बात पर से रिपोर्ट की गयी थी।

19 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 20.04.2014 की रात्रि 09:00 बजे की है। जबकि घटना की रिपोर्ट थाने में दिनांक 21.04.2014 को दोपहर में 01:30 बजे की गयी है। घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र दो किलोमीटर है। डॉ. नेहा सहगल (अ.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि घटना स्थल बोड़खी के पास में ही बोड़खी पुलिस चौकी है, उसने वहां पर भी कोई रिपोर्ट नहीं लेख करायी। पर्याप्त सुविधाओं के बाद भी एवं घटना स्थल से पुलिस चौकी एवं थाने की दूरी अत्यन्त कम होने के बाद भी फरियादी के द्वारा रिपोर्ट लेख न कराया जाना एवं विलंब का समुचित कारण साक्षीगण के कथनों से प्रकट न होना अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न करता है। साक्षी ऋषि ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय उसके नाना डॉ. प्रहलाद तथा हर्ष मालवीय, संदीप भी खड़े थे परंतु इसके बाद भी फरियादी ने बीच बचाव करना साक्षी मनोज एवं अलीम के द्वारा करना बताया है। साक्षी डॉ. नेहा सहगल को चिकित्सकीय परीक्षण में कोई भी बाहरी

चोट नहीं पायी गयी है तथा डॉ. ऋषि को मात्र सिर के पीछे तरफ सूजन पायी गयी है। जबकि साक्षी डॉ. ऋषि एवं डॉ. नेहा ने अभियुक्त राजेश के द्वारा हाथ मुक्कों से मारा जाना बताया है तब ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति हाथ मुक्कों से मारपीट करे और मात्र सिर के पीछे तरफ चोट आये, अत्यन्त अस्वाभाविक प्रतीत होता है। फरियादी नेहा सहगल तथा डॉ. ऋषि ने अभियुक्तगण से संपत्ति संबंधी विवाद होना स्वीकार किया है। साक्षी डॉ. नेहा ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 06 में और साक्षी ऋषि ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 13 में यह बताया है कि प्रापर्टी के विवाद के कारण रिपोर्ट करने की नौबत आयी। यदि प्रापर्टी का विवाद नहीं होता तो रिपोर्ट की नौबत ही नहीं आती।

20 प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। उभयपक्ष के मध्य संपत्ति के विवाद के कारण पूर्व से रंजिश का तथ्य पूर्णतः स्थापित है। विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराये जाने का समुचित स्पष्टीकरण भी उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं हुआ है। आहत नेहा के शरीर पर कोई भी बाह्य चोट नहीं पायी गयी है। आहत डॉ. ऋषि के मात्र सिर के पीछे की तरफ सूजन पायी गयी है। स्वयं फरियादी नेहा (अ.सा.-1) एवं आहत ऋषि (अ.सा.-2) ने अपने कथनों में यह बताया है कि प्रापर्टी संबंधी विवाद के कारण ही रिपोर्ट की नौबत आयी थी। अतः ऐसी परिस्थितियों में एवं उभयपक्ष के मध्य संपत्ति के संबंध में रंजिश की विद्यमान्यता अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न करती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण

21 डॉ. नेहा सहगल (अ.सा.-1) एवं डॉ. ऋषि सहगल (अ.सा.-2) ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि जब वे अपने घर की ओर लौटने लगे तो अभियुक्तगण ने रास्ता रोककर धमकी दी थी परंतु साक्षीगण के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण के द्वारा किस जगह पर उनका रास्ता रोका गया क्योंकि फरियादी एवं अभियुक्तगण विवाह समारोह में उपस्थित थे। खुले स्थल पर विवाह समारोह का सामान्यतः आयोजन किया जाता है। तब ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि फरियादीगण जिस दिशा से आगे बढ़ रहे थे मात्र उसी दिशा से उनके घर जाने का रास्ता उपलब्ध हो क्योंकि ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है कि किस जगह पर अभियुक्तगण ने फरियादीगण को जाने से रोका। अतः उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है कि फरियादीगण को जिस दिशा में जाने का अधिकार था उस दिशा में जाने से रोककर अभियुक्तगण ने सदोष अवरोध कारित किया।

विचारणीय प्रश्न क. 09 का निराकरण

22 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने फरियादी नेहा सहगल को मां बहन की अश्लील गालियां दी जिससे उसे क्षोभ कारित किया एवं फरियादी नेहा व आहत ऋषि कुमार को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी नेहा सहगल एवं आहत ऋषि कुमार को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी नेहा व आहत ऋषि कुमार का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा फरियादी नेहा व आहत ऋषि कुमार को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण अन्नु घई एवं राजेश घई को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323/34(दो काउंट में), 341, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

23 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

24 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)